


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सुमन देवी II, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़
 मांगेराम वगै० बनाम राजस्थान सरकार
 किस्म मुकदमा धारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल आर एक्ट धारा 111 सहपठित धारा
 128 पत्थरगढी) मुकदमा न० 15/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.04.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में बहस सुनी गयी दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थीगण की तामिल हेतु जारी नोटिस तामिल होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण की बार बार आवाज लगवाई गयी। आवाज पर ना तो स्वयं हाजिर आये और ना ही इनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये। अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भुमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड राजस्व ग्राम बनगोठडी खुर्द के भुमि खसरा नम्बर 159 रकबा 1.58 है०, खसरा नम्बर 576/68 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.21 है० कुल किता 03 कुल रकबा 2.04 है० प्रार्थी की खातेदारी भुमि है। अतः प्रार्थी व पडोसी खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बनगोठडी खुर्द में स्थित भुमि खसरा नम्बर 159 रकबा 1.58 है०, खसरा नम्बर 576/68 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 67</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 सूरजगढ़

रकबा 0.21 है० कुल किता 03 कुल रकबा 2.04 है० की प्रार्थी व सहखातेदार व पडौसी खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.05.2024 पत्थरगढी की जावे । दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावे। तहसीलदार पिलानी को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़